<u>न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय पूर्णियॉ</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 451 / 2026</u>
सी.आई.एस. संख्या – 451 / 2026

<u>18.05.2026</u>– आवेदकगण **सैयद हमीद एवं सैयद परवेज आलम** ओर से दिनांक 13.03.2026 को बायसी थाना काण्ड सं0–86 / 26 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 3(5) बीएनएस में एक अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक 16.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हीरा लाल साह राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय कुमार सिंह को सुना।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नही किया है। आवेदकगण की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण के विरूद्ध दो वाद बायसी थाना काण्ड संख्या–162 / 21 एवं 163 / 21 दर्ज है इसके अलावे अन्य कोई वाद नहीं है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है।प्राथमिकी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध प्राथमिकी में कोई अभियोग नहीं लगाया गया है एवं आवेदकगण घटनास्थल पर केवल फोन के माध्यम से आये थे। अतः आरोपित अभियोग नहीं बनता है। सच्चाई यह है कि घटना की तिथि और समय पर आवेदक संख्या–1 अपने घर था और आवेदक संख्या–2 घटना की तिथि को लगभग 11 बजे कोलकाता के लिए रवाना हुआ। 1 घ ंटे के बाद उसने अलीपुरद्वार से शाम 7 बजे ट्रेन पकड़ी और 05.03.2026 को लगभग 7 बजे कोल. कता पहुंचा। इसके बाद आवेदक संख्या–2 बैरकपुर गया और गोल्डन गेस्ट हाउस में सुबह 9:30 बजे तक रूका। इसके बाद वह बैरपुर साइबर पुलिस स्टेशन के मामले संख्या–2 / 26 के रिकार्ड का सत्यापन करने के लिए बैरकपुर उप मण्डल न्यायालय पहुंचा और 11 बजे तक रूका। इसके बाद वह श्री हीरा लाल साह अधिवक्ता के साथ आंखों की जॉच कराने के लिए शंकर नेत्रालय, न्यू टाउन, कोलकार गया और फिर उन्होंने 05.03.2026 को सुब 9:15 बजे सियालदह जंक्शन से हाटे बाजार ट्रेन पकड़यी और आवेदक संख्या–2 दिनांक 06.03.2026 को 8:50 बजे सुबह पूर्णियॉ पहुंचे और आवेदक संख्या–2 के पास उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कई सबूत है। आवेदक संख्या–1 मेडिकल स्टोर अपने घर पर चलाता है एवं आवेदक संख्या–2 एक विधि का छात्र है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। कभी–कभी व्यवहार न्यायालय पूर्णियॉ में श्री हीरा लाल साह अधिवक्ता के अधीन कानूनी कार्य करता है। आवेदकगण को गिरफ्तार किये जाने की संभावना है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचक सकिलुर रहमान के फर्दबयान के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2026 को 16:30 बजे असर का नमाज पढ़कर कब्रिस्तान की ओर गये थे, रास्ते में पंचायत भवन बन रहा था, उस जगह पर रूके हुए थे कि सैयद हसनैन आकर मुझसे गाली–गलौज करने लगा आर बोला कि बायसी थाना काण्ड संया–42 / 25 के काण्ड में रेहान की तरफ से क्यों मेरे खिलाफ गवाही दिये हो, ये बोलते हुए अपने हाथ में दबिया से सर पर हमला किया जिसके कारण उसके सर से खुन बहने लगा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया और यह भी बालेने लगा कि महादलित चम्पा देवी के जमीन पर भी हम कब्जा किये है तो तुम लोग उसका साथ क्यों दे रहे हो। इसके बाद वह अपने फोन से अपने भाई सैयद गुलाम रसुल, सैयद हमीद, सैयद प्रवेज को बुलाया और बोला कि सब मिलकर सकिलुर रहमान की हत्या किर देते हैं यह घ ाटना चारों भाई इकटठा होकर मोहफीज और सैयद गुलाम रसुल सरिया से मेरे सर के पिछले हिस्से और पैर में मारा जिसके कारण दुबारा जख्मी हो ग या सैयद गुलाम रसुल मेरे सिना पर चढ़

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय पूर्णियॉ
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 451 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 451 / 2026

गया तथा मुक्का–फाईट से मेरे चेहरे पर भी मारा जिसके कारण मेरे ओठ और चेहरे पर कई चोट लगी हैं हल्ला होने पर बैरिया के ग्रामीण लोग आये और बचाये तथा इलाज के लिए पीएचसी बायसी लाये जहॉ चिकित्सकों द्वारा मेरा इलाज किया गया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक का अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्तगण पर अभियोग है कि अन्य वाद में बने साक्षी के कारण अभियुक्तगण मिलकर सूचक के साथ गाली–गलौज किया एवं बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। वाद की सुनवाई के दौरान अद्यतन काण्ड दैनिकी की मांग की गयी जो प्राप्त है। काण्ड दैनिकी में संलग्न जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जख्म सिर पर कारित किया गया है जो कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया गया है तथा आवेदक अभियुक्तगण पर विशिष्ट अभियोग लगाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध 2 अन्य आपराधिक वाद दर्ज है। काण्ड दैनिकी में जख्मी सकीलुर रहमान का जख्म जॉच प्रतिवेदन है जिसमें जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का है जो सिर पर कारित है। आवेदक अभियक्तगण के पर विशिष्ट अभियोग नहीं लगाया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण **सैयद हमीद एवं सैयद परवेज आलम** को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आवेदक अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार किये जाने पर मो0–10,000 / –रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र निष्पादित करने पर एवं बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के प्रावधानों का पालन करने तथा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–18.05.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
तृतीय, पूर्णियॉ।